

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सारस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

दिनांक 09/01/24

क्रमांक: एफ. 14(Water)2022/एफसीए/प्रमुखसं./ 63-64

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव), उदयपुर।

विषय- Diversion of 2.4938 ha. of forest land in favour of Augmentation of Production from Jaisamand Lake for UWSS Udaipur Laying of 33kV XLPE 300 Sq. mm Cable (Existing 33kV GSS to Proposed 33kV GSS) & Laying for Under Ground /Open 900mm Dia Pipe Line from Jaisamand Lake to Udaipur City (Rajasthan)" (Proposal no. FP/RJ/Water/151001/2020)

संदर्भ- आपका पत्रांक 820 दिनांक 23.03.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्नांकित सूचनाएँ दिया जाना आवश्यक है:-

1. The NFL land is given in two parts (2.3438 and 0.15 ha), which is not admissible as per FCA guideline 2023 chapter 2.2 (iX). NFL should be provided in one cluster. 0.15 ha NFL not adjoining to the forest area also.
2. Pump house and GSS has been taken in forest land in area calculation sheet but in component wise details pump house is taken in Non forest land.
3. Area calculation sheet for sanctuarywise (Forest and non forest land) has not been provided.
4. Status of wildlife clearance proposal has not been submitted.
5. Why the CA scheme for DFL is submitted by DCF WL Udaipur.
6. As the area of CCF Udaipur is 1.9596 ha but CCF mentioned the area is 2.1137 ha Rectification is required.
7. Area between bridge and GSS is left out. It can be adjusted in GSS area.

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचनाएँ शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

उक्त ई0डी0एस0 सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ सी ए)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(Water)2022/एफसीए/प्रमुखसं./ 65-67

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर/(वन्यजीव), उदयपुर।
2. अधिशापी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड-1, उदयपुर।

दिनांक 09/01/24

कार्यालय सहाय्यी मुख्य वन संरक्षक उदयपुर

क्रमांक: एफ. 14(Water)2022/एफसीए/प्रमुखसं./ 257

दिनांक: 10/01/2024

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, उदयपुर को संदर्भित पत्र की प्रति प्रेषित कर अरण्य भवन, जयपुर

निर्दिष्ट है कि उक्त EDS अनुकार बिन्दुवार सूचना तैयार की जाकर शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे, ताकि उक्त कामों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा सके।

उप वन संरक्षक (प्रशासन)
सहाय्यी मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर
Scanned With CamScanner